राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :–14 / 2025

दायर तारीख 06 / 02 / 2025

अनवान

01. नानी पुत्री भूरा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी दांता उर्फ छोटा थड़ौदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
02. शंकरलाल पुत्र भूरा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी दांता उर्फ छोटा थड़ौदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।

............प्रार्थीगण

बनाम

01. मांगीलाल पुत्र कजोड़ जाति धाकड़ निवासी दांता उर्फ छोटा थड़ौदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
02. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।

.... विपक्षीगण

उपस्थित :1. श्री ओमप्रकाश धाकड़ – ....अधिवक्ता प्रार्थीगण

2. पैरोकार सरकार

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :05/08/2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता ओमप्रकाश धाकड़ ने **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** विरूद्ध विपक्षीगण पेश कर निवेदन किया/अनुतोष चाहा की प्रार्थीगण के स्वामित्व की खातेदारी ग्राम दांता उर्फ छोटा थड़ोदा पटवार हल्का थड़ौदा भू.अभि.निरिक्षक बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां में स्थित खसरा नम्बर 1549 / 235 रकबा 0.2995 हैक्टेयर भूमि पर आने जाने के लिए 15 फीट चौड़ा रास्ता जो कि विपक्षी की खातेदारी आराजी संख्या 234 रकबा 0.1376 हैक्टेयर भूमि में से होकर प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 1549 / 235 रकबा 0.2995 हैक्टेयर में प्रवेश करता हैं। प्रार्थीगण कई वर्षो से निरन्तर इसी रास्ते को उपयोग उपभोग कर प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजीयात पर काश्त की जा रही है। मौके पर वर्तमान में भी रास्ते के आलामात है रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से प्रार्थीगण को अपनी आराजियात में आने जाने के लिये परेशानी का सामना करना पड़ता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अपनी आराजियात पर काश्त करने के लिए आने–जाने हेतु ट्रेक्टर, बैलगाड़ी ले जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, प्रार्थीगण को उक्त रास्ते के आने–जाने हेतु कभी भी अवरूद्ध किया जा सकता है। प्रार्थीगण के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। यह कि प्रार्थीगण को विपक्षी की उक्त आराजियात पर स्थित 15 फीट चौड़े रास्ते को रिकॉर्ड में लेने के बदले में तय किये जाने वाला सरकारी मूल्य के आधार पर मुआवजा को तैयार हैं।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ते को नियमानुसार कायम करवा कर राजस्व अभिलेखों में दर्ज अभिलेख कराया जाने का आदेश फरमावें। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबन्दीयां संवत् 2073–2076 ग्राम दांता उर्फ छोटा थड़ोदा एवं भू–नक्शा उक्त आराजीयात का पेश किया जो संलग्न पत्रावली है।

प्रार्थनापत्र दिनांक 06.02.2025 को दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षीगण की तलबी जरिये नोटिश मय नकल प्रार्थनापत्र भेज करवाई गई । विपक्षी की बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 01 बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने से विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातारपेज संख्या 02 पर

उक्त प्रकरण में तहसीलदार बिजौलियां को निरिक्षण/मौका रिपोर्ट/तथ्यात्मक रिपोर्ट के लिए तहरीर दिनांक 07.04.2025 को जारी की गई। जिसके जवाब में तहसीलदार बिजौलियां से स्थल रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2025/1226 दिनांक 23.07.2025 को प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

तहसीलदार बिजौलियां ने अपनी स्थल निरिक्षण रिपोर्ट में अंकित किया कि ग्राम दाता उर्फ छोटा थडोदा में आ0नं0 1549/235 रकबा 0.2995 है0 भूमि प्रार्थीगणो के खातेदारी से दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजी भूमि पर पहुंच हेतु वर्तमान में मार्ग उपलब्ध नही है। प्रार्थीगणो द्वारा 15 फीट चौडाई का रास्ता चाहा गया है। ग्राम दाता उर्फ छोटा थडोदा के आ0नं0 234 रकबा 0.1376 है0 मे से रास्ता प्रस्तावित किया गया है, जो निम्नानुसार हैं :-

क्र.सं.	आ0नं0	कुल रकबा (है0 में)	रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा (है0 में) (ल0xचौ0)
1.	234	0.1376	54x4.57 मीटर यानि 247 व0मी0
	कुल		247 व0मी0

उपरोक्तानुसार रास्ता प्रस्तावित किया गया है जिसे सलंग्न नक्शा ट्रेश में लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रस्तावित रास्ता पूर्व में दर्ज रास्ता आ0नं0 233 रकबा 0.2104 है0 से लगता हुआ है। जो प्रार्थीगणो द्वारा चाहा गया है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि खनिज स्वीकृत/संभावित खनन क्षेत्र से 250 से अधिक दूरी पर स्थित है। एन.एच. व एस.एच. से 01 कि0मी0 से अधिक दूरी पर स्थित है। अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है। प्रार्थीगणो के पास अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही है।

ग्राम दाता उर्फ छोटा थडोदा की रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि आराजी नं0 234 रकबा 0.1376 है0 मे से रकबा 0.0247 है0 भूमि की डी.एल.सी. दर 646600/- रू0 प्रति है0 से भूमि की मालियत 15972/- रूपये का दुगुना से 31944/- रूपये की राशि बनती है। तहसीलदार बिजौलियां से स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के साथ मौका पर्चा , नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रैस पेश किया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त स्थल निरिक्षण रिपोर्ट को स्वीकार किया। पैरोकार सरकार ने किसी प्रकार का एतराज जांच रिपोर्ट पर नहीं किया। पत्रावली को बहस के स्तर पर रखा गया।

प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत साक्ष्य एवं उभयपक्ष की बहस सुनने एवं तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने के पश्चात् आदेश पारित किए जाते हैं कि

-: आदेश :-

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 251 ए(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** प्रार्थीगण के पक्ष में स्वीकार किया जात है कि प्रार्थीगण के स्वयं की खातेदारी ग्राम दांता उर्फ छोटा थड़ोदा पटवार हल्का थड़ौदा स्थित खसरा नम्बर 1549/235 रकबा 0.2995 हैक्टेयर भूमि में स्वयं के पैदल, मोटर साईकल, ट्रेक्टर, बैलगाड़ी से आने जाने के लिए रास्ते हेतु विपक्षी की आराजी नम्बर 234 रकबा 0.1376 है0 में से रकबा 0.0247 हैक्टेयर भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुनकीन रास्ता (रास्ता पगडंडिया) अभिलिखित/दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।

ग्राम दाता उर्फ छोटा थडोदा की रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि आराजी नं0 234 रकबा 0.1376 है0 मे से रकबा 0.0247 है0 भूमि की डी.एल.सी. दर 646600/- रू0 प्रति है0 से भूमि की मालियत 15972/- रूपये का दुगुना से 31944/- रूपये की राशि बनती है। जो कि बतौर मुआवजा भुगतान योग्य हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि जमा कराने पर नियमानुसार रास्ता राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 05/08/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां